



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220249
CG-DL-E-29062020-220249

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1897]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ 8, 1942

No. 1897]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून 2020

का. आ. 2142(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा उनके चुनाव के परिणामस्वरूप यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री सोमनाथ भारती, श्री दिलीप कुमार पाण्डेय और श्री ओ.पी. शर्मा दिल्ली विधान सभा सदस्य, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड(च) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य होंगे। वे चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके विधान सभा की सदस्यता समाप्त होने की तारीख तक अथवा उन्हें मंत्रिपरिषद् में शामिल किए जाने तक जो भी पहले हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे।

[फा.सं. के-11011/21/2004-डीडी1क]

वी.के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June 2020

S.O. 2142(E).—Consequent upon their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi under clause (f) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), it is notified that Shri Somnath Bharti, Shri Dilip Kumar Pandey and Shri O. P. Sharma, Members of the Legislative Assembly of Delhi will be Members of Delhi Development Authority, for a period of five years from the date of their election or until the date on which either they cease to be Members of the Legislative Assembly or they are included in the Council of Ministers, whichever is earlier.

[F.No. K-11011/21/2004-DD1A]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.

2884 GI/2020